भारत सरकार
मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 271
दिनांक 20 जुलाई, 2021 के लिए प्रश्न

मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना

271. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री चंद्रशेखर साहूः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत आय सहयोगऔर बीमा घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने योजना को बढ़ावा देने और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटनाओं में मारे गए मछुआरों के आश्रितों को लाभों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल मछुआरों को आय सहायता योजना के अंतर्गत कवर किया गया है;

(ङ) क्या इस योजना या किसी अन्य योजना के अंतर्गत मत्स्यन नौकाओं और उपकरणों की मरम्मत और पुनर्बहाली के लिए कोई कवरेज है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री

(डॉ. एल मुरुगन)

(क)से (घ)- मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक सर्वोत्कृष्ठ योजना अर्थात "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)- भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत एवं जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना" लागू कर रहा है जिसका अनुमानित निवेश 20,050 करोड़ रुपये का है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है। मत्स्ययन पर लगे प्रतिबंध/मंदी अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछले सक्रिय परंपरागत मछुआरा परिवारों को आजीविका एवं पोषण सहायता के रूप में प्रधान मंत्री मत्स्य

संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के अन्तर्गत आय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के अंतर्गत केन्द्र और सामान्य राज्य के बीच 50:50, केन्द्र एवं पूर्वोत्तर राज्य तथा हिमालयी राज्यों के बीच 80:20 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत के अनुपात में 3000/- रुपये प्रति नामांकित मछुआरों को सरकारी वित्तीय सहायता वहन की जाती है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी 1500/- रुपये प्रतिवर्ष अंशदान करता है और मत्स्ययन पर लगे प्रतिबंध/मंदी अवधि के दौरान 1500/- रुपये प्रतिमाह की दर से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामांकित लाभार्थी को 4500/- रुपये प्रतिवर्ष कुल संचित राशि संवितरित की जाती है।

(ङ) और (च)- पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत, मछुआरों को बीमा तथा मत्स्ययन जलयानों के लिए बीमा किस्त पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मछुआरों के लिए बीमा सहायता प्रदान जाती है। मछुआरों के लिए बीमा सुरक्षा में निम्नलिखित शामिल है (i) दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी रूप से पूर्ण निःशक्त होने की दशा में 5,00,000/- रुपये, (ii) स्थायी रूप से आंशिक निःशक्त होने की दशा में 2,50,000/- रुपये और (iii) अस्पताल में भर्ती-होने पर खर्च की दशा में 25,000/-रुपये। जबकि मत्स्ययन जलयानों के कवर हल, मशीनरी, एक्सेसरी के लिए बीमा किस्त पर आर्थिक सहायता गतिविधि जिनमें मछली पकड़ने का जाल, टकराव संबंधी देयता, कुल हानि, आंशिक हानि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानियां भी हैं। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) तथा हितधारकों में इसके घटकों को बढ़ावा देने और जागरुकता पैदा करने की दृष्टि से प्रिंट मीडिया, वेब साइटों, डिजिटल मीडिया, वेब आधारित अप्लीकेशनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, आउट डोर अभियान जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से योजना के ब्यौरों का प्रचार-प्रसार कर रहै है।

******